IR505H | मार्च 2026

टैक्स राहत – प्रतिकूल और आपातकालीन घटनाएं

हम जानते हैं कि प्रतिकूल या आपातकालीन* घटना के बाद सबसे पहले टैक्स आपके दिमाग में नहीं आएगा। हालांकि, अगर आप टैक्स राहत के बारे में अपनी किसी भी चिंता या सवाल के लिए हमसे संपर्क करते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं।

यदि कोई प्रतिकूल या आपातकालीन घटना आपकी टैक्स भुगतान करने की क्षमता और/या आपकी आय को प्रभावित करती है, तो आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और विशेष घटना के आधार पर, टैक्स राहत और/या आय सहायता उपलब्ध हो सकती है।

देर से फाइलिंग (जमा करने) और देर से भुगतान करने का दंड

यदि आप समय पर रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ हैं, तो हमसे संपर्क करना और अपने विकल्पों पर चर्चा करना जरूरी है। हम GST और PAYE रिटर्न के लिए एक्सटेंशन (अधिक समय) नहीं देसकते हैं, लेकिन देर से जमा करने के लिए किसी दंड को माफ किया जा सकता है। यदि आपको एक पत्र प्राप्त होता है जो आपको सलाह देता है कि आपका रिटर्न ओवरड्यू (अतिदेय) है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप पत्र को अनदेखा न करें, लेकिन जब आप यथोचित रूप से कर सकते हैं तो अपने टैक्स एजेंट या इनलैंड रेवेन्यू (अंतर्देशीय राजस्व) से संपर्ककरें।

कुछ परिस्थितियों में प्रतिकूल या आपातकालीन घटना केप्रभाव केकारण देर से भुगतान केलिए लगे जुर्माने को वापिस भी किया जा सकता है।

ब्याज

कुछ प्रतिकूल या आपातकालीन घटनाओं के लिए हम उस ब्याज को हटा सकते हैं जो आपकेप्रभावित होने पर लगाया गया था। यदि आप किसी आपातकालीन घटना से पभार्वित हुए हैं, तो ird.govt.nz/adverse-events-list वेबसाइट पर पता लगाएं कि क्या ब्याज को हटाया जा सकता है।

बकाया टैक्स

हम कुछ परिक्तस्थतियों में बकाया टैक्स केलिए किशों केबारे में विचार करेंग । यदिआप जानते हैं कि ण भीर कठिनाई केकारणपूरी राशि का भुण तान करने में सक्षम नहीं हों ण तो आप राइट-ऑफ (खारिज करने) केलिए आवेदन कर सकते हैं।

> **नोट**: यदि हम कठिनाई के कारण भुगतान से राहत देते हैं और आपको नुकसान आगे ले जाना होता है, तो ये नुकसान खारिज की गई राशि के **अनुपात में कम हो जाएगें।**

आपके और आपके परिवार के लिए सहायता

चाईल्ड स्पोर्ट (बाल-सहायता)

यदि आपकी पारिवारिक आय या स्थिति बदल गई है तो यह आपके अधिकारों या भुगतानों को प्रभावित कर सकता है। यदि आपको चिंता या प्रश्न हैं, या आपको नियत तारीखों तक अपना भुगतान करने में समस्या हो रही है, तो कृपया हमें 0800 221 221 पर फोन करें।

वर्किंग फॉर फैमिलीज़ (कार्यरत परिवार) टैक्स क्रेडिट

वर्किंग फॉर फैमिलीज़ का भुगतान साप्ताहिक, पाक्षिक या टैक्स वर्ष की समाप्ति केबाद किया जा सकता है। यदि प्रतिकूल या आपातकालीन घटना से आपकी आय या पारिवारिक परिक्तस्थतियों पर पर्भाव पड़ा है, तो कृपया myIR में ird.govt.nz पर अपने परिवार का विवरणअपडेट (ताजा) करें।

अनुदान और राहत भुगतान (व्यक्तियों और परिवारों के लिए)

प्रतिकूल या आपातकालीन घटना में सिविल डिफेंस पेमेंट्स (नागरिक सुरक्षा भुगतान) वर्कएंड इनकम (ते हिरांगा तांगाता) से उपलब्ध कराया जा सकता है। चूंकि नागरिक सुरक्षा भुगतान भोजन, बिस्तर, कपड़े और आवास जैसे कुछ खर्चों की लागत को कवर करने में मदद कर सकता है, और ये सभी निजी घरेलू खर्चे की प्रकृति में हैं, यदि आप इन भुगतानों को प्राप्त करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप टैक्स पर प्रभाव नहीं पड़ता।

आय के नुकसान के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को किए गए भुगतान केटैक्स पर प्रभाव नहीं पड़ता, जो आमतौर पर रोजगार या लाभ से आय प्राप्त करता है। यदि आप स्व-नियोजित हैं, मगर आपको भुगतान पर टैक्स देने की आवश्यकता हो सकती है - नीचे 'अनुदान और व्यवसायों केलिए राहत भुगतान' को देखें।

* 'प्रतिकूल या आपातकालीन' का अर्थ है एक राष्ट्रीय या स्थानीय नागरिक सुरक्षा आपातकाल और / या एक दुर्लभ घटना के परिणामस्वरूप जहाँ घटना का आपके व्यवसाय के संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरणों में बर्फीला तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप या पशुधन अथवा फसलों को प्रभावित करने वाली बीमारी शामिल हैं।

Kiwisaver (कीवीसेवर)

यदि आप किसी प्रतिकूल या आपातकालीन घटना से प्रभावित हैं, तो आप अपने कीवीसेवर योगदान को निलंबित कर सकते हैं, या आप कठिनाई के कारणउसकी वापसी केलिए आवेदन कर सकते हैं। कीवीसेवर निलं बन के बारे में अधिक जानकारी ird.govt.nz/apply-for-savings-suspension पर पराप्त करें, या हार्डशिप (कठिनाई) आवेदन केलिए अपने स्कीम प्रोवाइडर (योजना प्रदाता) से संपर्क करें।

दान

यदि आप किसी स्वीकृत चैरिटी को आर्थिक दान करते हैं, तो आप टैक्स क्रेडिट केहकदार हो सकते हैं।

दान और स्वीकृ त दान पराप्त करने वाले सं गठनों केबारे में अधिक जानकारी ird.govt.nz/donation-tax-credits वेबसाइट पर पराप्त करें।

स्टूडेंट लोनस (छातर ऋण)

स्टूडेंट लोन वाले लोगों के लिए कई राहत विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं:

- स्व-नियोजित लोग अपने स्टूडेंट लोन मूल्यांकन को कम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं
- वेतन और मजदूरी कमाने वाले लोग कम चुकौती काटने के लिए आवेदन कर सकते हैं
- कोई भी व्यक्ति जो फुलटाईम स्टडी (पूर्णकालिक अध्ययन) कर रहा है और वार्षिक चुकौती सीमा के तहत कमा रहा है, तो वह चुकौती छूट के लिए आवेदन कर सकता है।

ये तीन विकल्पm yIR केमाध्यम से उपलब्ध हैं।

स्टूडेंट लोन केबारे में अधिक जानकारी ird.govt.nz/difficulty-repaying-student-loan से पराप्त करें।

अनुकूलित टैक्स कोड

यदि आप वेतन या मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं और आगे जोड़ने केलिए नुकसान है तो आप एक अनुरूप कर कोड केहदकार हो सकते हैं। अनुरूप कर कोड विकल्पों केबारे में अधिक जानकारी ird.govt.nz/tailored-tax-code से पराप्त करें।

व्यवसायों और स्व-नियोजित लोगों केलिए सहायता

प्रोविज़नल टैक्स अनुमान/पुनःअनुमान

यदि प्रतिकूल या आपातकालीन घटना केकारण आपकी आय बदल गई है तो आप अपने प्रावधिक टैक्स का अनुमान या पुन: अनुमान लगाने में सक्षम हो सकते हैं। यदि ज्यादा प्रोविज़नल टैक्स का भुगतान किया गया है तो हम जल्दी वापसी की व्यवस्था कर सकते हैं।

छूट का प्रमाण पत्र या अनुरूप टैक्स की दर

यदि आप वर्तमान में ऐसे अनुबंध कार्य में शामिल हैं, जहां निर्धारित भुगतान काटा जाना है (उदाहरण केलिए, शीयरिंग या अन्य कृषि अनुबंध कार्य), तो आप छूट या अनुरूप टैक्स दर केप्रमाण पत्र केहकदार हो सकते हैं। अनुरूप कर कोड विकल्पों केबारे में अधिक जानकारी ird.govt.nz/tailored-tax-code से पराप्त करें।

आय समानता योजना

इस योजना में राशि जमा करने वाले वे लोग हैं जो:

- न्यूज़ीलैंड में जमीन पर खेती या कृषि व्यवसाय करते हैं, या
- मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं, या
- फॉरस्ट्री (वन उद्योग) से प्राप्त आय आमतौर पर योजना में अनुमत तिथि से पहले निकासी, या बाद में धनराशि जमा की जा सकती है।

विशेष परावधानों केबारे में अधिक जानकारी ird.govt.nz/adverse-events-list से पराप्त करें।

अनुदान और राहत भुगतान (व्यवसायों केलिए)

किसी व्यवसाय द्वारा प्राप्त अनुदान और सब्सिडी को आमतौर पर आपके GST रिटर्न में आय केरूप में शामिल करने की जरूरत होगी।

आयकर के लिए अनुदान या सब्सिडी का सही उपचार इस बात पर निर्भर करेगा कि अनुदान या सब्सिडी का भुगतान किसने किया है और अनुदान या सब्सिडी का उद्देश्य क्या है।

अनुदान और सब्सिडी केप्रावधान केबारे में अधिक जानकारी हमारी पुस्तिका **अनुदान और सब्सिडी (आईआर 249)** में पाई जा सकती है।

यह एक जटिल मामला है इसलिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से चर्चा करें।

बीमा भुगतान

यदि आप GST के लिए पंजीकृत हैं (या आपका पंजीकृत होना जरूरी है) और अपनी कर योग्य गतिविधि से संबंधित बीमा भुगतान प्राप्त करते हैं तो आपको आमतौर पर भुगतान पर GST के लिए खाते की आवश्यकता होगी।

यदि भुगतान खोए हुए व्यापारिक स्टॉक (पशुधन, बिक्री केसामान) या उपभोग्य सामग्रियों (घास, कच्चे माल) अथवा आय या मुनाफेकी हानि के लिए है, तो आयकर उद्देश्यों केलिए यह भी कर योग्य आय होगी।

यदि भुगतान मूल्यह्रास योग्य पूंजीगत संपत्ति (खलिहान, शैड, विनिर्माण संयंत्र, भट्टियां) केलिए है, तो बीमा राशि को आम तौर पर संबंधित लागतों जैसे कि मरम्मत केलिए भरपाई करकेऔर/या संपत्ति के टैक्स बुक वैल्यू (कर पुस्तिका मूल्य) समायोजन केमाध्यम से हिसाब देना जरूरी है, जो भविष्य के मूल्यह्रास दावों को कम कर सकता है या जिनसे मूल्यह्रास वसूली की संभावना हो सकती है।

यह एक जटिल मामला है इसलिए कृपया अपने टैक्स सलाहकार से चर्चा करें।

लघु व्यवसाय कैशफ़्लो योजना (ऋण)

यदि आपको अपने लघु व्यवसाय कैशफ़्लो ऋण केलिए भुगतान की किश्त देनी है, जिसे आप किसी प्रतिकूल या आपातकालीन घटना केकारण पूरा नहीं कर पाएंगे तो कृपया अपने भुगतान शेड्यूल में बदलाव पर चर्चा करने के लिए हमसे संपर्ककरें।

अधिक मदद की जरूरत है?

हमारा सुझाव है कि आप पहले अपने टैक्स सलाहकार से संपर्ककरें। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कृपया 0800 473 566 पर फोन करें। अपनी क्तस्थति केअनुरूप टैक्स राहत केबारे में नवीनतम जानकारी केलिए, ird.govt.nz/disasters-adverse-events वेबसाइट पर जाएं ।